अब्दुल अज़ीज़

बनाम

राजस्थान राज्य

3 मई, 2007

[एस.एच. कपाड़िया एवं बी. सुदर्शन रेड्डी, जेजे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 460 एवं 302/149- विचारण न्यायालय द्वारा धारा 460 के तहत पारित दोषसिद्धि आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा धारा 302/149 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया- उपयुक्तता- अभियुक्त को अन्य व्यक्तियों के साथ धारा 302/148/149/460 के तहत अभियोजित किया गया - विचारण न्यायालय द्वारा उसे केवल धारा 460 के तहत दोषिसिद्ध किया गया- राज्य की और से कोई अपील नहीं- अभियुक्त द्वारा की गई अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा, बिना उसे वृद्धि का नोटिस जारी किए, धारा 302 के तहत दोषसिद्ध कर निर्धारित किया गया कि विचारण न्यायालय ने उसे अनजाने में धारा 460 के तहत दोषसिद्ध कर दिया था- निर्णय, उच्च न्यायालय ने गलत रूप से अभियुक्त को धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया- यह न्याय का उपहास है- उच्च न्यायालय द्वारा पारित

निर्णय को अपास्त करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि आदेश व दण्डादेश अन्तर्गत धारा 460 को संपुष्ट किया गया।

अपीलकर्ता-अभियुक्त पर अन्य लोगों के साथ भा.द.सं. की धारा 302, 140, 149 और 460 के तहत आरोप लगाए गए थे, और विचारण न्यायालय ने केवल धारा 460 भा.द.सं. के तहत दोषी ठहराया और दस साल की कैद की सजा सुनाई। सजा बढ़ाने या भा.द.सं. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि के लिए राज्य द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी। लेकिन अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील में, उच्च न्यायालय ने उसे भा.द.सं. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और यह कहते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई कि विचारण न्यायालय ने उसे भा.द.सं. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराने के बजाय अनजाने में दोषी ठहराया था और धारा 460 के तहत सजा सुनाई थी। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उसे भा.द.सं. की धारा 302/149 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। व्यथित होकर अभियुक्त ने वर्तमान अपील दायर की।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए माना:

उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित धारा 460 भा.द.सं. के तहत दोषसिद्धि और सजा के आदेश को प्रतिस्थापित करते हुए अपनी ही अपील में अपीलकर्ता को भा.द.सं. की धारा 302/149 के तहत दोषी ठहराया है, यह मानते हुए कि अनजाने में विचारण न्यायालय धारा

302/149 को लागू करने में विफल रहा था। अपीलकर्ता को भा.द.सं. की धारा 302/149 के तहत दोषी ठहराने के लिए राज्य द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा वृद्धि के लिए कोई पूर्व सूचना जारी नहीं की गई थी। ऐसा नहीं किया जा सकता। यह न्याय का मखौल होगा। तद्नुसार, अपीलकर्ता को भा.द.सं. की धारा 460 के तहत दोषी ठहराया जाता है। नतीजतन, आजीवन कारावास की सज़ा से प्रतिस्थापित किया जाता है। [पैरा 9 और 11] [1172-बी-डी; एफ-जी]

पुन: सिंगाराम और अन्य, आकाशवाणी AIR [1954] मद्रास 152, प्रतिष्ठित।

सोहन सिंह केसर सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR [1964] Punjab 130 को अमान्य माना गया।

जगदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1953] 51 इलाहाबाद लॉ जर्नल 501, का उल्लेख किया गया।

राजू@राजकुमार बनाम राजस्थान राज्य, उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी.(फौ.) संख्या 4446/2006 से उत्पन्न फौजदारी अपील संख्या 664/2007 में पारित निर्णय दिनांकित 03.05.2007 उद्धृत किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 665/2007

राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर के डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 513/2014 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 13.01.2006 से।

अपीलकर्ता की ओर से जसपाल सिंह, आर.के. कपूर, एम.के. वर्मा, एस.एस. यादव और गोविंद कौशिक (अपीलकर्ता अनीस अहमद खान के लिए)।

गैरयाचिकाकर्ता की ओर से कुमार कार्तिकेय, वी. मधुकर, सुमित घोष, संजय झा और अरुणेश्वर गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

कपाड़िया जे.

(1) अनुमति प्रदान की गई।

(2) विशेष अनुमित की मंजूरी दी। यह आपराधिक अपील राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा डी.बी. फौजदारी अपील संख्या 513/04 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांकित 13-01-2006 के विरूद्घ निर्धारित है, जिसमें अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 49/2001 में की गई दोषसिद्घि अन्तर्गत धारा 460 भा.द.सं. को धारा 302 भा.द.सं. में परिवर्तित किया गया, बिना राज्य के इस संदर्भ में अपील प्रस्तुत किए हुए, इस आधार पर कि विचारण

न्यायालय द्वारा असावधानी से अपीलकर्ता को केवल धारा 460 भा.द.सं. के तहत दोषसिद्घ कर दिया गया।

(3) यह निर्णय हमारे द्वारा प्रकरण राजू उर्फ राजकुमार बनाम राजस्थान राज्य, फौजदारी अपील संख्या 664/2007, एस.एल.पी. (फौ.) संख्या 446/2006 में पारित निर्णय की कड़ी है, जिसे आज ही सुनाया गया। अतः हमें अभियोजन के प्रकरण को पुनः बताने की आवश्यकता है। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि अब्दुल अजीज (यहां अपीलकर्ता) आरोपी संख्या 01 था। विचारण न्यायालय ने उसे भा.द.सं. की धारा 460 के तहत दोषी ठहराया था। हमने पहले के फैसले में विचारण न्यायालय के फैसले के ऑपरेटिव हिस्से के प्रासंगिक पैराग्राफ को बड़े पैमाने पर उद्धृत किया है। मामले की योग्यता के आधार पर, हमें सहमति देने वाले के साथ कोई दुर्बलता नहीं मिली: नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष। उत्तम प्रकाश (पीडब्लू.4) का साक्ष्य, जो उस समय मौजूद था जब उसके पिता पर 10 से 12 लोगों ने चाकुओं से हमला किया था, वह चश्मदीद गवाह था। उसने अपीलकर्ता को उस कमरे में प्रवेश करते देखा था जहां मृतक पीडब्लू.4 की चाची के साथ बातचीत कर रहा था। एफआईआर में अपीलकर्ता का नाम था। वह, पी.डब्ल्यु. 04 का साक्ष्य पुनर्प्राप्ति और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित है।

(4) भा.द.सं. की धारा 460 के तहत रात में घर में अतिक्रमण करने में संयुक्त रूप से शामिल व्यक्तियों पर रचनात्मक दायित्व लगाया जाता है, जिसके दौरान मृत्यु या गंभीर चोट लगती है। यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जिन्होंने वास्तव में रात में घर में अतिक्रमण किया है और घुसपैठियों में से किसी एक द्वारा मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का कार्य दूसरों को, जिन्होंने चोट नहीं पहुंचाई, समान रूप से उत्तरदायी बना देगा। वर्तमान मामले में, भा.द.सं. की धारा 460 के घटक का अनुपालन किया जाता है। हालाँकि, राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय के फैसले को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अब्दुल अजीज (अपीलकर्ता) को हत्या का दोषी पाया है और वह भा.द.सं. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील में राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष इस बिंदु पर तर्क दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आक्षेपित फैसले में यह माना गया है कि विचारण न्यायालय ने भा.द.सं. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए अब्दुल अजीज (अपीलकर्ता) को दोषी ठहराने के बजाय अनजाने में उसे धारा 460 भा.द.सं. के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई थी और इस पर विचार करते हुए रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार, अपीलकर्ता भा.द.सं. की धारा 302/149 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

(5) वर्तमान मामले में, हमने पाया कि अपीलकर्ता पर धारा 302, 148, 149 और 460 भा.द.सं. के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन विचारण न्यायालय ने उसे केवल धारा 460 भा.द.सं. के तहत दोषी ठहराया था और राज्य द्वारा अपील दायर करने के लिए दस साल की कैद की सजा सुनाई थी। राज्य द्वारा सजा वृद्घि अथवा धारा 302 भा.द.सं. के तहत दोषसिद्घि के लिए कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके बावजूद अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उसे ही धारा 302/149 भा.द.सं. के तहत दोषसिद्घ कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

(6) जगदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1953) 51 इलाहाबाद लॉ जर्नल 501 के मामले में, निर्धारण के लिए एक समान स्थिति उत्पन्न हुई। उस मामले में जगदेव ने भा.द.सं. की धारा 460 के तहत अपनी सजा के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय का रुख किया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यह बताने के लिए नोटिस जारी किया था कि जगदेव के खिलाफ सुनाई गई सजा को क्यों न बढ़ाया जाए। इस मामले में ऐसा कोई नोटिस नहीं है। उस मामले में श्रीमती लालजी की हत्या कर दी गई थी, उनके गहने उतार दिए गए थे और अपीलकर्ता (जगदेव) को धारा 460 के तहत दोषी ठहराया गया था और 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह माना गया कि यदि आरोपी के खिलाफ जो आरोप

लगाया गया था वह सही था तो धारा 302 भा.द.सं. के तहत अपराध बनाया गया था और ऐसी स्थिति में अपराध धारा 460 भा.द.सं. के तहत नहीं आएगा। हम यहां उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे उद्धृत कर रहे हैं जो इस प्रकार है:

> "इस विशेष मामले के तथ्यों पर, धारा 460 के प्रावधान किसी अन्य कारण से लागू नहीं होते हैं। यह विवादित नहीं है कि धारा 460, आई.पी.सी. एक अकेले व्यक्ति के मामले पर लागू नहीं होगी जो अकेले गुप्त घर में अतिक्रमण करता है और ऐसे आयोग के दौरान किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का कारण बनता है या प्रयास करता है, और इस अपराध के कमीशन में अभियुक्तों के साथ शामिल होने वाले अन्य लोगों के बारे में बहुत कम सबूत हैं।

ऐसा कोई मामला सामने आ सकता है जिसमें कई व्यक्ति छिपकर अपराध करते हों गृह-अतिचार और उनमें से कोई व्यक्ति कारण बनता है या प्रयास करता है मृत्यु या गंभीर चोट. ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि कोई विशेष व्यक्ति ने उन कृत्यों को अंजाम दिया और यह संभव हो सकता है, जैसा कि प्रकरण मोहम्मदा बनाम एम्पेरर, ए.आई.आर. 1936 लाहौर 911(बी) में निर्धारित किया गया कि वे सभी धारा 460 भा.द.सं. के तहत दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी होंगे।

संदर्भित मामलों में से, वास्तविक व्यक्ति, जिसने गुप्त घर-अतिचार के साथ-साथ मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास किया था, को 'क्वीन बनाम लुखुन डॉस, (1865) 2 डब्ल्यूआर सीआरएल में दोषी ठहराया गया था। 52 (ए)' और 'फ़ैज़ बख्श बनाम सम्राट', 48 सीआर.एल.जे. 269, बिना इस चर्चा के कि उसका मामला वास्तव में उस धारा के अंतर्गत आता है या नहीं। 'रानी-महारानी बनाम इस्माइल खान', आईएलआर 8 सभी 649 (डी) में रिपोर्ट किए गए मामले में बिना किसी चर्चा के इस आशय की एक टिप्पणी की गई है:

> "धारा 459 और 460 एक मिश्रित अपराध का प्रावधान करते हैं इसकी शासक घटना यह है कि या तो 'एक गुप्त घर- अतिचार' या 'घर-तोड़ना' क्रम में पूरा किया जाना चाहिए किसी ऐसे व्यक्ति को बनाना जो उस अपराध में शामिल हो या तो कारित करके गंभीर चोट या मौत का प्रयास या गंभीर चोट उन धाराओं के तहत जिम्मेदार है।"

वास्तव में उस मामले में यह निर्णय लिया गया था कि अभियुक्तों ने गुप्त रूप से घर-अतिचार या घर-तोड़-फोड़ नहीं की थी और इसलिए, धारा 459 और 460, भा.द.स. के तहत उनकी सजा को बरकरार नहीं रखा जा सका।

'चतुर बनाम राजा सम्राट', 3 अलाहबाद एलजे 574 (ई) में रिपोर्ट किया गया मामला वर्तमान मामले के लिए बहुत उपयुक्त है। एक व्यक्ति ने एक घर में घुसकर एक लड़की की 'हंसली' लूटने का प्रयास किया और जब उसके पिता ने चोर को पकड़ लिया तो उसने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। सत्र अदालत ने उन्हें भा.द.सं. की धारा 460 के तहत अपराध का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपील पर उसकी दोषसिद्धि को धारा 302, आई.पी.सी. में बदल दिया गया था, और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में आजीवन कारावास की सज़ा को बढ़ाकर मौत की सज़ा कर दी गई थी। रिचर्ड्स, जे., जिन्होंने निर्णय सुनाया - धारा 460, एल.पी.सी. की व्याख्या करते समय देखा गया:

> "हमारी राय में इस धारा का उद्देश्य उन व्यक्तियों को दंडित करने का प्रावधान करना था जो संयुक्त रूप से गृह-अतिचार या घर में तोड़फोड़ करने में शामिल हैं, भले ही वे ऐसे व्यक्ति हों जिन्होंने मौत या गंभीर चोट पहुंचाई हो या प्रयास किया हो।"

इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि धारा 460 में उस व्यक्ति को सजा देने का प्रावधान है जो वास्तव में गुप्त घर-अतिचार या घर में तोड़फोड़ करते समय मौत या गंभीर चोट पहुंचाता है या कारित करने का प्रयास करता है। लेकिन पूर्वोक्त उद्धृत टिप्पणियों के ठीक बाद के

अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह धारा ऐसे वास्तविक अपराधी के सहयोगियों पर लागू होगी।

अब हम अपीलकर्ता की धारा 302, भा.द.सं. की दोषसिद्धि को बदल नहीं सकते हैं, और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में सजा नहीं बढ़ा सकते हैं, यदि हम पूरी दलीलें सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर अपीलकर्ता ने उसकी हत्या की थी। इन- 'ताज खान बनाम रेक्स', एआईआर (1952) सभी 369 (एफबी) (एफ)।"

(7) सिंगाराम और अन्य, एआईआर (1954) मद्रास 152 में, मामला हत्या और डकैती से संबंधित था। अभियुक्तों पर भा.द.सं. की धारा 302/34 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया और मुकदमा चलाया गया। विचारण न्यायालय ने उन्हें धारा 460 के तहत दोषसिद्घ किया एवं इसलिए, राज्य ने धारा 302/34 भा.द.सं. के तहत बरी करने की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए एक अपील दायर की। उस मामले में यह माना गया था कि विचारण न्यायालय ने भा.द.सं. की धारा 460 के तहत आरोपी को गलत तरीके से दोषी ठहराया था; कि धारा 302/34 भा.द.सं. के तहत विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें बरी करना गलत था और तदनुसार प्रत्येक अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भा.द.सं. की धारा 460 के तहत अपराध के लिए निचली अदालत द्वारा दी गई सात साल की सजा को रद्द कर दिया गया। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण

है कि उक्त मामले में राज्य द्वारा अपील दायर की गई थी और उन अपीलों में आरोपियों को भा.द.सं. की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मौजूदा मामले में ऐसी कोई अपील नहीं है। वर्तमान मामले में, अब्दुल अजीज (यहाँ अपीलकर्ता) द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई है, न कि राज्य द्वारा। हमारे समक्ष अब्दुल अजीज ने अपील दायर की है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अब्दुल अजीज को भा.द.सं. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराना गलत था, जब विचारण न्यायालय ने उसे धारा 460 भा.द.सं. के तहत दोषी ठहराया था, विशेष रूप से, राज्य की ओर से किसी अपील के अभाव में।

(8) सोहन सिंह केसर सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1964) पंजाब 130 के मामले में, सोहन सिंह को धारा 302, 380 और 457 भा.द.सं. के तहत दोषी ठहराया गया था; उन्हें भा.द.सं. की धारा 302 के तहत मौत की सजा और भा.द.सं. की धारा 457 और 380 प्रत्येक के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। सोहन सिंह ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील दायर की। सोहन सिंह की ओर से दी गई दलीलों में से एक यह थी कि विचाराधीन अपराध भा.द.सं. की धारा 460 के दायरे में आता है, न कि धारा 302 भा.द.सं. के तहत। यह तर्क दिया गया कि रात में घर में घुसने का अपराध करते समय बच्चे

की मृत्यु हो गई थी और इसलिए, आरोपी को केवल भा.द.सं. की धारा 460 के तहत दंडित किया जा सकता है। इस तर्क के संदर्भ में उच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

> "धारा 460 केवल रात में 'अन्य बातों के साथ-साथ' घर में तोड़फोड़ करने वाले या उसमें शामिल व्यक्तियों के रचनात्मक दायित्व का प्रावधान करती है, जिसके दौरान अपराधियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और यह संयुक्त अपराधियों के लिए बढ़े हुए दंड का प्रावधान करती है। इसे आकर्षित करने के लिए इस धारा में यह बात बहुत कम मायने रखती है कि वास्तव में मृत्यु का कारण कौन है, क्योंकि, गृह-भेदन करने में संयुक्त रूप से शामिल प्रत्येक व्यक्ति इस धारा के तहत बढ़े हुए दंड के लिए उत्तरदायी है यदि अपराध के दौरान मृत्यु होती है, भले ही मृत्यु के लिए कोई भी जिम्मेदार हो। वास्तव में, इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अपवाद के रूप में नहीं माना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति, रात में घर में घुसकर हत्या भी करता है, तो उसे इस बाद के अपराध के लिए दंड देना होगा धारा 302 के तहत यह मानना लगभग असंभव है कि वह हत्या के लिए प्रदान की गई सजा से केवल इसलिए बच सकता है क्योंकि हत्या उसके द्वारा घर में घुसने का अपराध करते समय की गई थी, और

उस पर केवल धारा 460 के तहत ही कार्रवाई की जा सकती है। न ही धारा 460 की भाषा न ही भारतीय दंड संहिता की योजना और न ही तर्क और सामान्य ज्ञान इस विवाद का समर्थन करते प्रतीत होंगे, जिसे मैं निःसंकोच खारिज करता हूं।"

(9) उपरोक्त निर्णय हस्तगत बिन्दु पर लागू नहीं होता है। उस मामले में, सोहन सिंह को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था। उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। यदि कोई व्यक्ति रात के समय घर में चोरी करता है और हत्या भी करता है, तो उसके कृत्य पर भा.द.सं. की धारा 302 लगती है। उक्त प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता पर भा.द.सं. की धारा 302, 460 और 149 के तहत आरोप लगाया गया था। उन्हें भा.द.सं. की धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया गया। उन्हें भा.द.सं. की धारा 302/149 के तहत दोषी नहीं ठहराया गया। उन्हें केवल धारा 460 के तहत दोषी ठहराया गया था। भा.द.सं. की धारा 302 के तहत उन्हें दोषी ठहराने के लिए राज्य द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी। धारा 302/149 भा.द.सं. के तहत उसे दोषी ठहराने के लिए राज्य द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने अब्दुल अजीज (यहां अपीलकर्ता) को उसकी ही अपील में धारा 302/149 भा.द.सं. के तहत दोषसिद्धि और सजा को प्रतिस्थापित करते हुए दोषी ठहराया है। उच्च न्यायालय द्वारा वृद्धि के लिए कोई पूर्व सूचना जारी नहीं

की गई थी। हमारी राय में ऐसा नहीं किया जा सकता. हमारे विचार में यह न्याय का मखौल होगा। आक्षेपित निर्णय में ही उच्च न्यायालय ने पाया कि अनजाने में विचारण न्यायालय भा.द.सं. की धारा 302/149 को लागू करने में विफल रहा।

(10) उपरोक्त कारणों से हम निर्णीत करते हैं कि अब्दुल अजीज (यहां अपीलकर्ता) धारा 460 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्घ किया जाता है एवं अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 (फास्ट ट्रैक) जयपुर शहर, जयपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 49/2001 में पारित निर्णय दिनांकित 09-03-2004 के अनुसार ही 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा काटेगा एवं जुर्माना अदा करेगा।

(11) परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय द्वारा लगाई गई आजीवन कारावास की सजा को दस साल के कठोर कारावास और 500/- रुपये के जुर्माने (डिफॉल्ट में, तीन महीने की सजा) की सजा से प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो कि सत्र प्रकरण संख्या 49/2001 में दिनांक 09.03.2004 के फैसले के तहत विचारण न्यायालय द्वारा लगाया गया।

(12) तदनुसार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

आर.पी. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सिद्घार्थ गोदारा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।